215hi10

10

बीमा

आपने बाजार में दुकानें देखी होंगी। इन दुकानों में बिक्री के लिए अनेक वस्तुएं संग्रहित हैं। आपमें से कुछ ने कारखाने देखे होंगे जिनमें वस्तुओं के निर्माण के लिए मशीनें लगी हैं। आप रेलगाड़ी, ट्रक, जहाज आदि के बारे में भी जानते होंगे जो माल एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। इनमें काफी पैसा लगता है तथा मार्ग में हानि की सम्भावना सदा बनी रहती है। उदाहरण के लिए दुकान में माल भरने में, इन्हें खरीद कर लाने पर बड़ा धन व्यय करना पड़ता है तथा सदा इस बात की जोखिम रहती है कि बिक्री से पहले यह क्षति ग्रस्त न हो जायें। क्षति का कारण आग लगना, प्राकृतिक आपदा, दंगा-फसाद एवं चोरी हो सकते हैं। इसी प्रकार से कारखाने में मशीनें खराब हो सकती हैं जिसमें भारी हानि हो सकती है। परिवहन के दौरान दुर्घटना के कारण माल नष्ट हो सकता है अथवा माल की क्षति हो सकती है। इन सभी परिस्थितियों में हानि व्यवसायी की ही होती है। केवल व्यवसायी की सम्पत्तियां ही नहीं वह स्वयं भी जीवन में खतरों से घिरा हुआ है। वह बीमार हो सकता है। उसके साथ दुर्घटना हो सकती है और इससे उसके परिवार को भारी हानि हो सकती है।

क्या इन जोखिमों से बचा जा सकता है अथवा उसे न्यूनतम किया जा सकता है? क्या कोई चीज है जो जोखिमों से बचा सके? आइए इस पाठ में इस सबके सम्बन्ध में पढ़ें।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप

- व्यावसायिक जोखिमों की व्याख्या कर सकेंगे;
- बीमा की परिभाषा दे सकेंगे;
- बीमा के महत्व को समझा सकेंगे;
- बीमा के विभिन्न प्रकारों की पहचान कर सकेंगे;
- जीवन बीमा, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा और अन्य बीमों की मुख्य विशेषताओं का विवेचन कर सकेंगे; और
- बीमा अनुबंध के विभिन्न सिद्धान्तों का उल्लेख कर सकेंगे।

10.1 व्यावसायिक जोखिमों का स्वरूप

अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो आपका उद्देश्य निश्चित रूप से लाभ कमाना होगा।

प्रत्येक व्यवसाय का यह सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्योंकि लाभ के बिना आपकी पूंजी कम होती जाएगी और हो सकता है एक दिन पूरी पूंजी ही समाप्त हो जाए। इसलिए आप अपने व्यापार को सही ढंग से चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको कभी ऐसा लग सकता है कि आपके कारखाने में बनी वस्तुओं की बिक्री कम होती जा रही है। यह चेतावनी का संकेत है। आप इसका पता लगाने की कोशिश करेंगे। कारणों का पता चलने के बाद आप इनको दूर करने की भी कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि आपको पता चलता है कि आप जिन वस्तुओं को बेच रहे हैं उसी तरह की आयातित वस्तुएं आपके प्रतिद्वंद्वी व्यापारी बहुत कम कीमत पर बेच रहे है। बाजार की स्थिति में बदलाव से आपकी आय अथवा लाभ में कमी आएगी। आय अथवा लाभ में कमी अन्य कारणों से भी आ सकती है। वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह तक लाने ले जाने में खो सकती है। कारखाने के गोदाम में दुर्घटनावश आग लग सकती है या मजदूर हड़ताल कर सकते हैं। इनमें से कई संभावनाओं के बारे में अनुमान लगा पाना और कई मामलों में उन्हें नियंत्रित कर पाना आपके लिए संभव नहीं होगा। यही जोखिम की अवधारणा है। जोखिम विभिन्न कारणों से होने वाले संभावित नुकसान हैं जिस पर व्यवसायी का बहुत कम या बिल्कुल नियंत्रण नहीं होता।

सभी व्यावसायिक गतिविधियां अनिश्चिताओं से भरी होती हैं ओर इनमें घाटा या नुकसान हो सकता है। कुछ नुकसानों से बचने के लिए समय रहते सावधानी रखी जा सकती है। लेकिन कुछ नुकसान ऐसे हैं जिन्हें व्यापारी को स्वयं उठाना पड़ता है या यदि संभव हो तो दूसरों को उसमें भागीदार बनाया जा सकता है।

खो जाने या नुकसान होने की संभावना को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है- अनिश्चितताएं और जोखिम। अनिश्चितताएं वे घटनाएं हैं जिनका पहले से अनुमान लगाना कठिन है। लेकिन पिछले अनुभव के आधार पर जोखिम का अनुमान लगाया जा सकता है। कारखाने या गोदाम में आग लगने की संभावना आग से बचने के लिए किए गए उपायों पर या आग से होने वाले नुकसान को कम से कम करने के लिए की गई तैयारियों पर निर्भर करती है। चोरी या दुर्घटना से होने वाले नुकसान का मामला भी ऐसा ही होता है।

दूसरी स्थिति यह है कि हर व्यक्ति को अपने बुढ़ापे, बीमारी या उस अवस्था के बारे में सोचना आवश्यक है जब वह योग्य नहीं रह पाएगा। इसे अनिश्चितता नहीं कहा जा सकता। बीमारी किसी को भी हो सकती है खास कर एक विशेष उम्र के बाद। इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि मौत ऐसे समय भी आ सकती है जब परिवार के भरण-पोषण के लिए आजीविका के साधनों की आवश्यकता हो। यह भी जोखिम हैं और व्यापार में इनका भी ध्यान रखना पड़ता है।

वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के क्रम में दुर्घटनाएं हो सकती है जिनमें माल को नुकसान पहुँच सकता है। रेलगाड़ियां उलट सकती है, पुल टूट जाते हैं या इंजन में खराबी के कारण विमान दुर्घटना ग्रस्त हो सकता है। ट्रक लूटे जा सकते हैं। समुद्री जहाजों से भेजी जाने वाली वस्तुएं बंदरगाहों पर लादते या उतारते हुए क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। क्या इस तरह

के नुकसान में किसी दूसरे पक्ष को भागीदार बनाया जा सकता है? आइए इस बात को समझें कि इस नुकसान को बीमा के द्वारा कैसे बांटा जा सकता है।

जोखिमों के प्रकार

सट्टा जोखिम : सट्टे पर आधारित व्यावसायिक निर्णय से संबंधित जोखिम। उदाहरणार्थ: फैशन में परिवर्तन, सरकारी नीति में परिवर्तन आदि।

शुद्ध जोखिम : ऐसे जोखिम जिनमें हानि की संभावना का अनुमान लगाया जा सके।

संपत्ति जोखिम : संपत्ति के नुकसान से जुड़े जोखिम।

कार्मिक जोखिम: लोगों के जीवन अथवा स्वास्थ्य से संबंधित।

वित्तीय जोखिम : व्यवसाय के वित्तीय लेनदेनों से संबंधित।

विपणन जोखिम: माल के विपणन से जुड़े जोखिम।

10.2 बीमा का अर्थ

बीमा उस साधन को कहते हैं जिसके द्वारा कुछ शुल्क (जिसे प्रीमियम कहते हैं) देकर हानि का जोखिम दूसरे पक्ष (बीमाकार या बीमाकर्ता) पर डाला जा सकता है। जिस पक्ष का जोखिम बीमाकर पर डाला जाता है उसे बीमाकृत कहते हैं। बीमाकार आमतौर पर एक कंपनी होती है जो बीमाकृत के हानि या क्षति को बांटने को तैयार रहती है और ऐसा करने में वह समर्थ होती है।

बीमा वास्तव में बीमाकर्ता और बीमाकृत के बीच अनुबंध है जिसमें बीमाकर्ता बीमाकृत से एक निश्चित रकम (प्रीमियम) के बदले किसी निश्चित घटना के घटित होने (जैसे कि एक निश्चित आयु की समाप्ति या मृत्यु की स्थिति में) पर एक निश्चित रकम देता है या फिर बीमाकृत की जोखिम से होने वाले वास्तविक हानि की क्षतिपूर्ति करता है।

अगर आप बीमा के आधार के बारे में सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह एक तरह का सहयोग है जिसमें सभी बीमाकृत लोग, जो जोखिम का शिकार हो सकते हैं, प्रीमियम अदा करते हैं जबकि उनमें से एक या सिर्फ कुछ को ही, जो वास्तव में नुकसान उठाते हैं, मुआवजा दिया जाता है। वास्तव में जोखिम की संभावना वालों की संख्या अधिक होती है लेकिन किसी निश्चित अवधि में उनमें से सिर्फ कुछ को ही नुकसान होता है। बीमाकर्ता (कंपनी) बीमाकृत पक्षों के नुकसान को शेष बीमाकृत पक्षों में बांटने का काम करती है।

पाठगत प्रश्न 10.1

निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं तथा कौन से गलत :

i. जोखिम का अर्थ वस्तुओं या मनुष्यों को होने वाली हानि या क्षति की संभावना है।

ii. फैशन में परिवर्तन व्यक्तिगत जोखिम है।

iii. अनिश्चित घटनाओं से होने वाला नुकसान व्यापारियों को स्वयं ही उठाना पड़ता है।

iv. कुछ जोखिमों को एहतियाति कदम उठाकर रोका जा सकता है, जैसे कि मशीन की खराबी।

v. बीमा एक पक्ष के नुकसान को दूसरे पक्ष पर स्थानान्तरित करने का साधन है। दूसरा पक्ष नुकसान बांटने के लिए तैयार रहता है और उसमें ऐसा करने की सामर्थ्य भी होती है।

vi. बीमाकृत द्वारा बीमाकर्ता को दी जाने वाली राशि प्रीमियम कहलाती है।

10.3 बीमे का महत्व

बीमे के महत्व को समझने के लिए हमें इससे मिलने वाले लाभों की चर्चा करनी होगी।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, बीमा, हानि या नुकसान की स्थिति में व्यक्तिगत या व्यावसायिक जोखिम को कई लोगों में बांटने का अत्यंत उपयोगी साधन है। इस प्रकार बीमाकृत पक्षों में सुरक्षा की भावना बनी रहती है। वे व्यक्ति जो अपनी वर्तमान आय में से समय-समय पर बीमा का प्रीमियम चुकाते हैं उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद एक मुश्त रकम मिलना और मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलने का आश्वासन रहता है। व्यवसायी भी अपनी हानि के जोखिम के लिए बीमे का प्रीमियम चुकाते हैं और हानि या क्षति की संभावना की चिन्ता से मुक्त हो जाते हैं।

वस्तुओं के बड़े पैमाने पर उत्पादन और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनके वितरण को देखते हुए बीमे का महत्व काफी बढ़ गया है। बीमा, व्यापारिक और औद्योगिक उद्यमों में काफी सहायता करता है, क्योंकि उन्हें इन उद्यमों की संपत्तियों और कारखानों के साथ यहां इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल, कल-पुर्जों और तैयार वस्तुओं पर काफी पैसा लगाना पड़ता है। व्यवसायी वर्ग बीमे से स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि वे इस बात से आश्वस्त होते हैं कि एक छोटी रकम देने से भविष्य में होने वाले उनके नुकसान की भरपाई हो जाएगी।

देश की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो बीमा कंपनियों को दिए गए प्रीमियम के रूप में लोगों की बचत इन बीमा कंपनियों के पास इकट्ठा होती है। बीमा कंपनियां इस धन का निवेश सरकारी या बड़ी कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में करती हैं।

जो लोग अपने बुढ़ापे या मृत्यु से जोखिम के लिए जीवन बीमा कराते हैं, वे अपनी वर्तमान आय में से बचत करने को प्रेरित होते हैं जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है।

बीमा क्षेत्र में काफी लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है। देश के विभिन्न इलाकों में लोग बीमा कंपनियों में नौकरी पाकर अपना जीवन-यापन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इन कंपनियों के एजेंट के रूप में भी काम कर रहे हैं।

पाठगत प्रश्न 10.2

निम्नलिखित वाक्यों में खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरिए :

i. बीमा, कुछ लोगों की _____ को बहुत सारे लोगों में बांटने का एक साधन है। (हानि, खर्च)

ii. बीमा का महत्व इस बात में निहित है कि यह लोगों को _____ के लिए प्रेरित करता है। (सुरक्षित महसूस करने, असुरक्षित महसूस करने)

iii. बीमा कंपनियां, सरकारी या बड़ी कंपनियों की _____ में धन निवेश करती है। (ऋण, प्रतिभूतियों)

iv. बीमा _____ उपक्रमों तथा वाणिज्य जगत के लिए एक प्रकार की सहायता है। (औद्योगिक, व्यापार)

10.4 बीमा के प्रकार

बीमा, जो कि अनुबंध पर आधारित होता है निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है :

i. जीवन बीमा
ii. अग्नि बीमा
iii. समुद्री बीमा और
iv. अन्य बीमा जैसे कि डकैती या चोरी बीमा, वाहन बीमा आदि।

कुछ समय पहले तक भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) और साधारण बीमा निगम (GIC) तथा इसकी सहायक कंपनियां, जीवन बीमा और साधारण बीमा क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां थी। अब कई अन्य कंपनियां भी इन क्षेत्रों में काम करने लगी है। आइए बीमा के इन विभिन्न प्रकार की विशिष्टताओं का अध्ययन करें :

i) **जीवन बीमा :** जीवन बीमा ऐसा अनुबंध है जिसके अनुसार बीमाकर्ता (Insurer), बीमाकृत (Insured) को उसकी मृत्यु की स्थिति में या कुछ वर्षों के पूरा होने पर एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देता है। इसके बदले में बीमाकृत, बीमाकर्ता को एक मुश्त या फिर प्रति माह, त्रैमासिक, छमाही या वार्षिक किस्तों में प्रीमियम का भुगतान करता है। इस तरह के मामले में जिस जोखिम का बीमा कराया गया है उसका होना निश्चित है। इसलिए जीवन बीमा को जीवन आश्वासन भी कहते हैं। अनुबंध के लिखित रूप को जीवन बीमा पालिसी कहा जाता है। इसके अनुसार बीमाकृत को किसी निश्चित तिथि को या किसी निश्चित घटना के घटने की स्थिति में एक निश्चित रकम के भुगतान का प्रावधन होता है। व्यवसायी अपने कर्मचारियों का सामूहिक बीमा कराके उन्हें जीवन बीमा की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। इससे कर्मचारियों में कादारी की भावना पैदा होती है। साथ ही इसका इस्तेमाल ऋण लेने के लिए भी किया जा सकता है।

जीवन बीमा पालिसियां मूलत: दो प्रकार की होती है : (i) आजीवन बीमा पालिसी (ii) बन्दोवस्ती बीमा पालिसी।

आजीवन बीमा पालिसी जीवन भर के लिए होती है और इसमें पूरे जीवन, प्रीमियम का भुगतान करते रहना पड़ता है। बीमे की रकम का भुगतान बीमाकृत की मृत्यु के बाद ही उसके आश्रितों को किया जाता है। दूसरी तरफ बंदोबस्ती बीमा पालिसी सीमित समय तक या बीमाकृत की एक निश्चित आयु तक ही चलती है। बीमे की रकम का भुगतान निश्चित समय के बाद या बीमाकृत की मृत्यु होने पर, यदि उसकी मृत्यु बीमा अवधि से पहले हुई हो, किया जाता है।

ii) **अग्नि बीमा :** अग्नि बीमा में बीमाकर्ता, बीमाकृत से प्रीमियम प्राप्त हो जाने के बाद उसे उसकी वस्तु के आग से क्षतिग्रस्त या पूरी तरह नष्ट हो जाने से हुए नुकसान की भरपाई का वचन देता है। अग्नि बीमा क्षतिपूर्ति अनुबंध है। इसका मतलब यह हुआ कि बीमाकृत पक्ष वास्तविक हानि या क्षति या बीमे की रकम, इन दोनों में से जो कम हो सिर्फ उसी का, दावा कर सकता है। बीमा कंपनियां बीमे से अधिक की रकम किसी स्थिति में नहीं दे सकती चाहे नुकसान उससे अधिक का ही क्यों न हुआ हो। आग से हुए नुकसान के दावे का भुगतान दो शर्तों पर निर्भर करता है।

(क) नुकसान आग से ही हुआ हो, और

(ख) आग दुर्घटनावश लगी हो, जान बूझकर न लगाई गई हो- आग लगने का कारण क्या है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मामले में मूल सिद्धान्त, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है। बीमाकृत पक्ष वास्तविक नुकसान की भरपाई का हकदार है। बशर्ते यह रकम बीमे की कुल रकम से ज्यादा न हो। बीमाकृत बीमे से लाभ नहीं कमा सकता। वह केवल अपनी नुकसान की क्षतिपूर्ति करा सकता है।

उदाहरण के लिए माना एक व्यक्ति ₹ 20000 की राशि को वस्तुओं का बीमा कराता है और इनमें से ₹ 15000 की राशि की वस्तुएं आग से नष्ट हो जाती हैं तो बीमाकृत बीमा कम्पनी पर केवल ₹ 15000 (न कि ₹ 20000) तक का दावा कर सकता है।

iii) **समुद्री बीमा :** समुद्री बीमा वह अनुबंध है जिसके द्वारा बीमा कंपनी किसी यात्री या मालवाहक जहाज के मालिक को समुद्री यात्रा के दौरान होने वाले नुकसान की भरपाई करने की सहमति देती है। इसमें जहाज पर लदे माल के नुकसान की भरपाई भी शामिल है। जो समुद्री बीमा, समुद्री तूफान या अन्य प्राकृतिक कारणों से माल को हुए नुकसान की भरपाई करता है इसे माल बीमा कहते हैं। जहाज का मालिक समुद्री यात्रा के दौरान समुद्र में होने वाले उतार-चढ़ाव के जोखिम के लिए जहाज का बीमा करा सकता है। जब बीमा जहाज का किया जाए तो उसे जहाज बीमा या हल्ल इंश्योरेंश कहा जाता है। जब भाड़े का भुगतान माल के मालिक द्वारा माल के गंतव्य बंदरगाह पर पहुंच जाने के बाद किया जाता है तो जहाजरानी कंपनी माल के

नुकसान के कारण होने वाले भाड़े की हानि का भी बीमा करा सकती है। इस तरह के समुद्री बीमे को भाड़ा बीमा कहते है। समुद्री बीमा के सभी अनुबंध क्षतिपूर्ति के अनुबंध होते हैं।

समुद्री बीमा पालिसियों के प्रकार निम्नलिखित हैं :

(क) **मियादी बीमा पालिसी (Time Policy) :** यह बीमा एक निश्चित अवधि के लिए होता है और आमतौर पर यह अवधि एक साल की होती है। यह बीमा पालिसी आमतौर पर जहाज या माल का बीमा कराने के लिए होती है, जब कम माल का बीमा किया जए।

(ख) **यात्रा बीमा पालिसी (Voyage Policy) :** यह बीमा पालिसी किसी विशेष यात्रा के लिए होती है और इसमें कोई समय सीमा नहीं होती। इसका इस्तेमाल ज्यादातर माल बीमे के लिए किया जाता है।

(ग) **मिश्रित बीमा पालिसी (Mixed Policy) :** इस पालिसी के अंतर्गत जहाज या माल का बीमा किसी विशेष यात्र और निश्चित समय दोनों के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए मिश्रित बीमा के तहत एक जहाज का मुम्बई और कोलंबों के बीच 6 महीने की यात्रा के लिए बीमा किया जा सकता है।

(घ) **अनिश्ति बीमा पालिसी (Floating Policy) :** इस बीमा पालिसी के तहत माल का बार-बार बीमा कराने के बजाय एक बड़ी रकम की पालिसी ले ली जाती है और जब-जब माल भेजा जाता है तब उसके बीमे की राशि मूल बीमा राशि में से घटाई जाती है और माल का अलग से बीमा उस समय तक नहीं कराना पड़ता जब तक बीमे की मूल राशि खत्म न हो जाए।

iv) **अन्य बीमा :** साधारण बीमा कंपनियां जीवन, अग्नि और समुद्री बीमे के अतिरिक्त कई अन्य जोखिमों के लिए भी बीमा कर सकती हैं। इनमें से कुछ जोखिम और उनसे संबंधित बीमा पालिसियों का विवरण नीचे दिया गया है।

(क) **मोटर वाहन बीमा :** कारों, वैन, व्यापारिक गाड़ियों, मोटर साइकिलों, स्कूटर और सब तरह के मोटर वाहनों का बीमा उनके दुर्घटनाग्रस्त होने या उनकी चोरी होने या दुर्घटना में किसी तीसरे पक्ष के घायल होने या मृत्यु होने से उत्पन्न देनदारी की स्थिति में हुए नुकसान की जोखिम के लिए किया जाता है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत तीसरे पक्ष के जोखिम का बीमा अनिवार्य है।

(ख) **चोरी बीमा :** इस बीमे के तहत बीमा कंपनी सेंधमारी, चोरी या डकैती से हुए चल वस्तुओं के नुकसान की भरपाई करती है।

(ग) **विश्वास बीमा :** व्यापारी अपने उन कर्मचारियों की धोखाधड़ी और बेईमानी से होने वाले नुकासान की जोखिम के लिए इस तरह की पालिसी ले सकते हैं जो नकदी और भंडारों को संभालते हैं। इससे कर्मचारी द्वारा धन

और सामान के गबन से होने वाले नुकसान से रक्षा होती है। इसे विश्वास बीमा पालिसी कहते हैं। कर्मचारियों से विश्वास गारंटी बांड पर हस्ताक्षर करने को भी कहा जा सकता है।

(घ) व्यक्तिगत दुर्घटना तथा बीमारी जीवन बीमा : इस तरह की बीमा पालिसियाँ मृत्यु या विशेष परिस्थितियों में विकलांग होने के विरूद्ध ली जाती हैं, जैसे कि हवाई यात्रा करते समय दुर्घटना आदि।

(ङ) दायित्व बीमा : इस तरह की बीमा पालिसियां किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा चोट आदि लगने की जोखिम को उठाने के लिए होती है। यह दो प्रकार की होती है :

(अ) नियोक्ता की जिम्मेदारी : प्रत्येक कर्मचारी की सुरक्षा की कानूनी जिम्मेदारियां निभाने के जोखिम लिए।

(ब) सार्वजनिक जिम्मेदारी : व्यक्तियों तथा व्यवसायियों के परिसर में आने वाले आगन्तुको से संबंधित जिम्मेदारी के जोखिम हेतु।

(च) सम्पत्ति का बीमा : यह बहुत अधिक तरह के सामान का बीमा करती है जो कि परिवहन के समय या अन्य कारणों से खराब हो जाता है। यह व्यवसायियों तथा गृहस्थों के लिए हो सकता है।

अग्नि बीमा, समुद्री बीमा तथा जीवन बीमा में अन्तर

क्र. सं.	अंतर का आधार	अग्नि बीमा	समुद्री बीमा	जीवन बीमा
1.	क्षति पूर्ति	जितने मूल्य का बीमा काराया गया है या वास्तविक मूल्य, जो भी कम हो।	क्रयमूल्य तथा 10 से 15 प्रतिशत लाभ, क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है।	केवल विशेष रूप से अलिखित/बीमा मूल्य ही दिया जाता है।
2.	बीमा योग्य हित	पालिसी लेते तथा नुकसान होते समय उपस्थित होना आवश्यक है।	नुकसान होने समय बीमित हित होना आवश्यक है।	पालिसी लेते समय बीमा योग्य हित का होना आवश्यक है।
3.	पालिसी का हस्तांकन	बिना बीमा कम्पनी की आज्ञा के हस्तांकन नहीं।	बीमा कम्पनी की आज्ञा के बिना हस्तांकन नहीं	कोई हस्तांकन नहीं किया जाता।
4.	जोखिम का प्रकार	अनिश्चित	अनिश्चित	निश्चत, परंतु समय अनिश्चित
5.	समयावधि	सामान्यत: एक वर्ष	सामान्यत: एक वर्ष	यह लम्बे समय के लिए लिया जाता है।
6.	प्रीमियम	प्रीमियम का निर्धारण राशि पर निर्भर करता है। यदि यदि बीमित मूल्य अधिक है तो प्रीमियम भी अधिक होगा।	प्रीमियम की राशि, आपदा की प्रकृति पर निर्भर करती है।	बीमित की आय तथा बीमे की अवधि पर प्रीमियम की राशि निर्भर करती है।
7.	उद्देश्य	आग से जोखिम के लिए	समुद्री आपदाओं से रक्षा।	सुरक्षा एवं निवेश
8.	समर्पण	समाप्त होने के पूर्व समर्पण नहीं कर सकते।	समाप्ति से पूर्व समर्पण नहीं कर सकते।	परिपक्व होने से पूर्व समर्पण हो सकता है।

पाठगत प्रश्न 10.3

निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं और कौन से गलत हैं :

i. समुद्री बीमा अनुबंध, साधारण अनुबंध है जबकि जीवन बीमा, क्षतिपूर्ति अनुबंध है।

ii. अग्नि बीमा, आग से हुए नुकसान की भरपाई करता है और बीमा कंपनी से दावा करने के लिए आग लगने के कारण का कोई महत्व नहीं है।

iii. समुद्र में जोखिमों से रक्षा के लिए जहाज का बीमा कराया जा सकता है।

iv. बंदोबस्ती पालिसी में बीमाकृत को जीवन भर प्रीमियम का भुगतान करना होता है।

v. जीवन बीमा में प्रीमियम, एक मुश्त या वार्षिक किस्तों में दिया जा सकता है।

vi. समुद्री बीमा में जहाज बीमा के लिए आमतौर पर मियादी पालिसी का इस्तेमाल किया जाता है।

vii. व्यवसाय के मालिकों के लिए विश्वास बीमा अनिवार्य नहीं है।

viii. क्षतिपूर्ति अनुबंध सिद्धांत के पीछे इस बात को सुनिश्चित करना है कि बीमाकृत पक्ष बीमे से लाभ न कमा पाए।

10.5 बीमे के सिद्धान्त

बीमे के कुछ सिद्धान्त हैं जो बीमाकर एवं बीमाकृत के बीच बीमा अनुबंध पर लागू होते हैं। ये निम्न है :

i) **पूर्ण सद्विश्वास :** बीमा अनुबंध पारस्परिक विश्वास एवं सद्भावना के अनुबंध हैं। अनुबंध के दोनों पक्ष अर्थात् बीमाकार एवं बीमाकृत को चाहिए कि वह सभी आवश्यक सूचनाओं से एक दूसरे को अवगत कराए। उदाहरण के लिए जीवन बीमा कराते समय बीमाकृत को, बीमा कम्पनी को बता देना चाहिए यदि वह किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जो उसका जीवन ले सकती है। यदि वह ऐसा नहीं करता तथा बाद में पता चलता है कि बीमाकृत ऐसी बीमारी से पीड़ित था जो उसकी मृत्यु का कारण बनी तो बीमा कंपनी कोई दावा भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगी।

ii) **बीमोचित स्वार्थ :** इसका अर्थ है बीमा विषय में वित्तीय अथवा धन सम्बन्धि हितों का होना। यदि बीमित सम्पत्ति के नष्ट होने से अथवा बीमित व्यक्ति के जीवन को हानि होने से बीमाकृत की व्यक्तिगत हानि होगी। अर्थात् यदि बीमित व्यक्ति के जीवन को हानि होने से बीमाकृत की व्यक्तिगत हानि होगी। एक व्यक्ति का किसी सम्पति में बीमा योग्यहित माना जायेगा यदि उसके सुरक्षित रहने से उसे वित्तीय लाभ हो रहा हो। जीवन बीमा में बीमा कराते समय बीमाकृत का बीमोचित स्वार्थ होना आवश्यक है। माना एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी का बीमा कराया है। बाद में दोनों में तलाक हो जाता है तो इसका बीमा अनुबंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि अनुबंध के समय इस व्यक्ति का अपनी पत्नी के जीवन में बीमा योग्य हित था। समुद्री बीमा के मामले में संपत्ति की हानि अथवा क्षति के समय बीमा

योग्य हित का होना अनिवार्य है। अग्नि बीमा के अनुबंध में पालिसी लेते समय तथा संपत्ति की हानि अथवा क्षति के समय, अर्थात् दोनों समयों पर बीमा योग्य हित का होना अनिवार्य है।

iii) **क्षतिपूर्ति :** क्षतिपूर्ति शब्द का अर्थ है किसी व्यक्ति को उसी स्थिति में ला देना जिस में वह घटना के घटित होने से पहले था/थी। यह सिद्धांत अग्नि बीमा और सामुद्रिक बीमा में लागू होता है। यह जीवन बीमा में लागू नहीं होता क्योंकि जीवन समाप्ति के पश्चात पुनः जीवन नहीं दिया जा सकता। इस सिद्धांत का उद्देश्य यह है कि बीमाकृत को घटना के घटित होने पर बीमित वस्तु से कोई लाभ नहीं होना चाहिए। बीमित राशि अथवा वास्तविक हानि, दोनों में से जो भी कम हो उसी की क्षतिपूर्ति की जाती है।

iv) **योगदान :** एक ही बीमा वस्तु का एक से अधिक बीमाकारों से बीमा कराया जा सकता है। बीमा के दावों की जो क्षतिपूर्ति बीमाकृत को दी जानी है उसे सभी बीमाकारों से बीमित राशि के अनुपात में एकत्रित किया जायेगा।

v) **प्रत्यासन :** बीमा अनुबंध में प्रत्यासन का अर्थ है, बीमाकार ने यदि बीमाकृत को हुई क्षति की पूर्ति कर दी है तो बीमाकार को बीमा की विषयवस्तु के सम्बंध में वही अधिकार प्राप्त हो जायेंगे जो बीमाकृत को थे। माना ₹ 20000 की राशि का माल जल गया है लेकिन पूरी तरह से नहीं। ऐसे में यदि बीमा कम्पनी ने बीमाकृत की क्षतिपूर्ति कर दी है तो बीमा कम्पनी इस क्षति ग्रस्त सम्पति का अधिग्रहण कर इसे बेच सकती है।

vi) **न्यूनीकरण :** दुर्घटना होने पर बीमाकृत को चाहिए कि वह हुए बीमा की विषय वस्तु को होने वाली हानि अथवा क्षति को कम से कम करने का प्रयास करें। इसके लिए उसे हर सम्भव कदम उठाना चाहिए। यह सिद्धान्त यह सुनिश्चित करता है कि बीमाकृत, बीमा कराने के पश्चात बीमा वस्तु की सुरक्षा के प्रति लापरवाह न हो जाए। बीमाकृत इसी प्रकार से व्यवहार करता है मानो विषयवस्तु का बीमा कराया ही नहीं गया है।

vii) **हानि का निकटम कारण :** इस सिद्धान्त के अनुसार क्षति होने पर बीमाकृत को तभी क्षतिपूर्ति राशि मिलेगी जबकि हानि उसी कारण से हुई हो जिसके विरूद्ध बीमा कराया गया है। बीमा कराई गई जोखिम, हानि का निकटतम कारण होनी चाहिए, दूर का कारण नहीं। बीमा कम्पनी का तभी क्षति पूर्ति का दायित्व होगा। उदाहरण के लिए माना एक जहाज में संतरे भरे हुये है जिनका दुर्घटना के घटित होने पर होने वाली हानि के विरूद्ध बीमा कराया गया है। जहाज बन्दरगाह पर सकुशल पहुंच गया लेकिन माल उतारने में देरी हो गई। परिणाम स्वरूप संतरे सड़ गये। बीमा कम्पनी ने क्षति पूर्ति के रूप में कोई भुगतान नहीं किया क्योंकि हानि का निकटतम कारण संतरों का जहाज से उतारने में देरी थी न कि मार्ग में किसी दुर्घटना का होना।

पाठगत प्रश्न 10.4

उचित शब्द भरकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

i. पूर्ण सद्विश्वास का सिद्धांत बीमाकर और बीमाकृत के बीच _____ पर आधारित है।

ii. जीवन बीमा अनुबंध में बीमाकृत का _____ के समय बीमा योग्य हित होना चाहिए।

iii. _____ सिद्धांत का उद्देश्य है कि बीमाकृत, बीमा अनुबंध से कोई लाभ नहीं कमा सके।

iv. यदि बीमाकार दो या अधिक हैं तथा बीमा दावा राशि का किसी एक ने भुगतान कर दिया है तो अन्य बीमा को _____ आधार पर उस बीमाकार, जिसने दावे का भुगतान किया है, को हिस्सा देना होगा।

आपने क्या सीखा

- जोखिम, नुकसान या क्षति की संभावना है जो ऐसे कारणों से होती है जिन पर हमारा बहुत थोड़ा नियंत्रण होता है या जरा भी नियंत्रण नहीं होता। सभी व्यवसायिक गतिविधियों में अनिश्चित घटनाओं से नुकसान होने की आशंका बनी रहती है।

- बीमा एक साधन है जिसके द्वारा प्रीमियम या किसी निश्चित शुल्क को देकर नुकसान या जोखिम को दूसरे पक्ष (बीमाकर्ता) पर डाला जा सकता है। जिस पक्ष का जोखिम बीमाकर्ता पर हस्तांतरित किया जाता है उसे बीमाकृत कहते हैं।

- बीमा, बीमाकर्ता और बीमाकृत के बीच अनुबंध है जिसमें बीमाकर्ता, बीमाकृत से एक निश्चित रकम के बदले किसी निश्चित घटना (जैसे कि एक निश्चित आयु या मृत्यु) होने पर एक निश्चित रकम देता है या किसी नुकसान की स्थिति में उसकी भरपाई करता है।

- **बीमा का महत्व :** बीमा एक व्यक्ति के नुकसान को कई लोगों में बांटने का एक सरल साधन है। वस्तुओं के बड़े पैमाने पर उत्पादन और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनके वितरण को देखते हुए बीमे का महत्व काफी बढ़ गया है। यह व्यावसायिक और औद्योगिक इकाइयों को सहायता प्रदान करता है। बीमा कंपनियां, बीमाकृत पक्षों से प्राप्त प्रीमियम को इकट्ठा करके इसका निवेश प्रतिभूतियों में करती हैं, जिससे अंततः देश के विकास में मदद मिलती है। बीमा क्षेत्र में कई लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है।

- **प्रकार :** बीमा एक सेवा गतिविधि है जिसे मुख्य रूप से चार भागों में बांटा जा सकता है :

जीवन बीमा	:	आजीवन बीमा पालिसी, बंदोबस्ती बीमा पालिसी
अग्नि बीमा	:	समय पालिसी
सामुद्रिक बीमा	:	यात्रा बीमा पालिसी, मिश्रित बीमा पालिसी, अस्थायी बीमा पालिसी,
अन्य बीमा	:	मोटर वाहन बीमा, चोरी बीमा, विश्वास बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना तथा बीमारी बीमा, दायित्व बीमा, संपत्ति बीमा

पाठांत प्रश्न

1. व्यापारिक जोखिम से क्या तात्पर्य है?
2. बीमा की परिभाषा दीजिए।
3. बीमा क्यों महत्वपूर्ण है? दो कारण लिखिए।
4. बंदोबस्ती बीमा पालिसी का क्या अर्थ है?
5. यात्रा पालिसी क्या है?
6. जहाजी बीमा किसे कहते हैं?
7. स्पष्ट कीजिए कि बीमा, व्यापार और उद्योग जगत के लिए किस प्रकार सहायक है।
8. आजीवन पालिसी, बंदोबस्ती पालिसी से किस प्रकार भिन्न है?
9. मोटर वाहन बीमा और विश्वास बीमा में किस प्रकार के जोखिम का बीमा होता है?
10. समुद्री बीमा की क्या उपयोगिता है? आयातकों और निर्यातकों के लिए उपयोगी समुद्री बीमों का उल्लेख कीजिए।
11. एक व्यक्ति जो कैंसर से पीड़ित है और जीवन बीमा पालिसी लेते समय यह नहीं बताता है कि उसने कौन से सिद्धांत का उल्लंघन किया है। इसे लगभग 50 शब्दों में लिखे।
12. किस समय, बीमा योग्य हित होगा : (अ) जीवन बीमा में (ब) अग्नि बीमा में (स) समुद्री बीमा में।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

10.1 (i) सत्य (ii) असत्य (iii) असत्य (iv) सत्य
(v) सत्य (vi) सत्य

10.2 (i) हानि (ii) सुरक्षित महसूस करने (iii) प्रतिभूतियों
(iv) औद्योगिक

10.3 (i) असत्य (ii) सत्य (iii) सत्य (iv) असत्य
(v) सत्य (vi) सत्य (vii) सत्य (viii) सत्य

टिप्पणी

10.4 (i) पारस्परिक विश्वास एवं सद्भावना (ii) अनुबंध (iii) क्षतिपूर्ति (iv) आनुपातिक

आपके लिए क्रियाकलाप

- छात्रों को यह कहा जा सकता है कि वे अपने इलाकों में उन दुकानदारों का पता लगाएं जिन्होंने आग से होने वाले नुकसान से रक्षा के लिए बीमा कराया है।
- छात्रों को यह कहा जा सकता है कि वे अपने पड़ोसी से पूछ कर पता लगाएं कि उनके क्षेत्र में कितने लोगों ने जीवन बीमा कराया है और जिन्होंने बीमा कराया है उनकी पालिसयां आजीवन है या बंदोबस्ती।